

सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश न्याय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश

पत्राचार की सेवा हुई। तबकील अपीलान्ट अपीलान्ट
 तबकील अपीलान्ट की वकालत सुप्रीम कोर्ट में
 किया गया।
 तबकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट के
 द्वारा प्रस्तुत आर्गुमेंट पर दफा 5 विधायक अधि-
 शिष्टाचार का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।
 मूल अपीलान्ट की वकालत पर मनन
 किया गया एवं पत्राचार व पत्राचार में उपलब्ध
 रिपोर्ट का मनन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार
 मनन से पता चला कि पत्राचार रिपोर्ट में भूमि
 रकम नं० 236 कुल रकम 24.78 है। रिपोर्ट में मु०
 जोड़ी में से 0.05 है। पर पत्राचार मकान तीन
 सेट लगाकर अतिरिक्त किया जाना संज्ञित किया
 है। जबकि पत्राचार दफा द्वारा रिपोर्ट के पिछे
 जो नजरी नमूना बनाया है उसमें अतिरिक्त
 कितने रकम पर किया गया है संज्ञित नहीं है।
 ना ही चारों दिशाओं का माप संज्ञित किया है।
 तबकील अपीलान्ट का यह कथन सही है कि
 विकास अधिकारी द्वारा पत्राचार किया गया
 है। जिले की फोटो प्रति पत्राचार में शामिल
 है। इसके यह स्पष्ट होता है कि तबकीलदार
 श्रीमधोपुर द्वारा जारी पत्राचार के लब्ध में कोई
 जांच नहीं की गई एवं ना ही पत्राचार निर्णय
 में कोई अंकन किया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट
 अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत
 होता है।


अतः उपरोक्त विवेचन के आधार
 पर अपीलान्ट अपीलान्ट संबंधित होने से स्वीकार
 कि जाती है। तथा तबकीलदार श्रीमधोपुर
 मु० नं० 79/2020 उनवारी सरकार बनाम पप्पू,
 प्रहलाद में पारित आदेश दिनांक 22-1-2021
 अमान्य किया जाता है। अपीलान्ट अपीलान्ट
 तबकीलदार श्रीमधोपुर को इस आदेश के
 साथ रिमांड की जाती है कि माँके पर चारों
 दिशाओं का माप जोख किया जावे एवं अपीलान्ट
 को सुनवाई का सुभित सुभित अवसर देते हुए



सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश न्याय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश

तारीख
हुकम

एवं पञ्जाबी में उपलब्ध समस्त रिजल्ट
का गहनता से अवलोकन किया जाकर निम्न
निर्णय उन परितः किये जायेंगे। निर्णय-कि
हेड एक निर्णय कि जति तहरीर के पाठना
लदार सीमाधोपुर को भेजी जायें। पञ्जाबी
फैसल शुमार होकर नम्बर से नम होकर दाखिल
दफ्तर में।


(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं आति. जिला मजिस्ट्रेट
सीमकाथाना